

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

एकीकृत शिक्षा भवन, द्वितीय तल, बोर्ड ऑफिस परिसर पेंशनबाड़ा, रायपुर
टेलीफोन नं. 0771-2445052 Email-rmsachg@gmail.com

क्र.2325/एफ 18-3/समग्र शिक्षा/BRC-CRC/2023 रायपुर दिनांक 03/08/2023
प्रति,

M/S LABZU GLASSWARE INDUSTRIES

1st floor Shop No. 54 bhaktmata parisar Rajendra Nagar Raipur
Mob No. 9425286786 ,9826186786
E-mail: labzu@gmail.com

विषय:- CRC अनुदान अंतर्गत TLM मद से संकुलों को सामग्री प्रदाय करने हेतु
क्रयादेश।

संदर्भ:- (1) CSIDC Rate Contract No. 5473 dated 04/08/2022

-----000-----

विषयांतर्गत समग्र शिक्षा के CRC अनुदान अंतर्गत TLM मद से संकुलों को सामग्री प्रदाय करने हेतु CSIDC रायपुर द्वारा निर्धारित दर अनुबंध पर भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सामग्री प्रदाय हेतु तालिका के नीचे लिखित शर्तों के तहत आपको क्रय आदेश जारी किया जाता है-

SNO	ITEM CODE	ITEM NAME	QTY PER KIT (A)	Price per unit without GST (in Rs.)(B)	Amount without GST (C=AxB)	GST % (D)	GST (E=D%X C)	Inspecti on charges (F=0.70 8%xC)	Total Amount (in Rs.) (G=C+E+F)
1	700004235	WORKING MODEL ELECTRICAL BELL	1	890	890	18	160.2	6.301	1056.50
2	700004182	APPARATUS DAY AND NIGHT	1	900	900	18	162	6.372	1068.37
3	700004184	SOLAR SYSTEM MODEL	1	1399	1399	18	251.82	9.905	1660.72
4	700004190	WET AND DRY THERMOMETER	2	400	800	18	144	5.664	949.66
		G.TOTAL	5		3989		718.02	28.242	4735.26

निम्नलिखित जिलों के सम्मुख अंकित विकासखंडों के सामने उल्लेखित संख्या में उपरोक्तानुसार सामग्री का किट सेट बनाकर सामग्री प्रदान करें -


क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
1	GARIYABAND	CHHURA	35
		DEOBHOG	21
		FINGESHWAR	26
		MAINPUR	39
	GARIYABAND TOTAL		121
2	JANJIR CHAMPA	AKALTARA	24
		BALODA	33

क्रमांक	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुलों हेतु किट की संख्या
		BAMHNINDIH	31
		NAWAGARH	42
		PAMGARH	34
	JANJIR CHAMPA TOTAL		164
3	MOHLA MANPUR CHOWKI	MOHLA	34
		MANPUR	35
		CHOWKI	32
	MMC TOTAL		101
4	NARAYANPUR	NARAYANPUR	47
		ORCHA	22
	NARAYANPUR TOTAL		69
GRANDTOTAL			455

(सकल राशि - 4735.26 x 455 = 2154543.3) या 21.545 लाख


शर्तः-

- सामग्री प्रदाय के पूर्व सीएसआईडीसी में ईम्पेनल्ड एजेंसी से तकनीकी रूप से सत्यापित सामग्री का किट राज्य कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा क्रय समिति द्वारा सामग्री जाँच उपरांत सामग्री वि०ख० में प्रदान की जावे।
- टीएलएम सामग्री विकासखंड स्तर तक पहुंचा कर देना होगा।
- विकासखण्ड स्तर पर फर्म द्वारा सीएसआईडीसी से सत्यापित सैंपल किट प्रदान किया जाएगा। वि०ख० स्तर पर तीन सदस्यीय टीम द्वारा प्रदायित सैंपल किट अनुसार दी गई सामग्री की गुणवत्ता व मात्रा का परीक्षण किया जाकर सत्यापन प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
- टीएलएम सामग्री का तकनीकी विशेषज्ञ से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर देयक के साथ देना अनिवार्य है।
- CSIDC दर अनुबंध में निर्धारित समय-सीमा (45 दिवस) के भीतर सामग्री प्रदाय करना होगा अन्यथा क्रयादेश निरस्त माना जाएगा।
- सामग्रियों की आपूर्ति सी०एस०आई०डी०सी० के ई-मानक में दर्शित शर्तों एवं छ०ग० राज्य भंडार क्रय नियम के शर्तों के आधार पर किया जाना होगा।
- सामग्री पहुंचाते समय अथवा अन्य कारण से टुट-फुट होने पर सामग्री बदलकर बिन्दु क्र. 5 में अंकित अवधि के भीतर सही हालत में सामग्री प्रदान करना होगा।
- सामग्री की पावती विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जाएगा।
- सामग्री प्रदान करने हेतु आपके द्वारा सहमति प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय में कुल क्रयादेश की 3 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक है।
- सामग्री का संकुलवार किट सेट बना कर किट में सामग्री की सूची एवं संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
- बिना कारण बताये क्रयादेश को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।


 प्रबंध संचालक
 राज्य परियोजना कार्यालय
 समग्र शिक्षा
 रायपुर छत्तीसगढ़

पृ. क्र. 232^b/एफ 18-3/समग्र शिक्षा/BRC-CRC/2023 रायपुर दिनांक 03/08/2023
प्रतिलिपि-

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, जिला छ.ग. को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला छ.ग. को सूचनार्थ।
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड, छ.ग. को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि सामग्री प्राप्त होने के तत्काल तीन सदस्यीय की समिति बनाकर, समिति के द्वारा तत्काल भौतिक सत्यापन करावें तथा तत्काल संकुलों को टीएलएम किट प्रदान कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
7. एम.आई.एस. प्रभारी, समग्र शिक्षा को CSIDC के ई-मानक पोर्टल पर कार्यादेश अपलोड करने हेतु निर्देशार्थ।


प्रबंध संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा
रायपुर छत्तीसगढ़